न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर
शांति शाखा बनाम मनोज शर्मा
मु० सं० – 31/2023

श्रीमान, पंचायतनामा पेश हो, पक्षकार गवाह मौजूद। वकील गवाह व गवाह कार्यवाही-स्थल आवाज लगवाई गई तथा इंतजार किया गया। लेकिन उपस्थित नहीं। पंचायतनामा का अवलोकन किया गया। पंचायतनामा का अंतिम धारा में अंकित फैसले के बाबत किया जाता है। पंचायतनामा कोलाज शुरुआत से अंत तक एक ही तरह का है तथा बात पूर्ति योग्य स्पष्ट है।